



म.प्र. पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP20015GC014880

रजिस्टर्ड ऑफिस: शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008 दूरभाष: (0761) 2661234, फैक्स: (0761) 664141,
e-mail:md@mptransco.nic.in, website:mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2202

दिनांक 24.3.2020

प्रति,

- 1 कार्यपालक निदेशक (सीआरए)/(मा.संसा.वि.सं.), म.प्र.पाँ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 2 मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(प्रोक्योरमेंट)/(योजना एवं रूपांकन)/(अउदा-निर्माण) / (अउदा-संधा.एवं निरी.) / (राज्य भार प्रेषण केन्द्र) / (कार्य) / (ट्रांस-पूर्व क्षेत्र), म.प्र.पाँ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 3 मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पाँ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आई.टी.-ई.आर.पी.)/(सिविल-ट्रांस)/(सर्तकता)/(ट्रांसमिशन- पश्चिम क्षेत्र)/(ट्रांसमिशन- मध्य क्षेत्र), म.प्र.पाँ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

विषय:- कंपनी अंतर्गत वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से लेनगन कंप्यूटर ऑपरेटर के आदेशों की अवाची में वृद्धि बाबत।

संदर्भ:- पुंख लेनचालक म.प्र.पाँ.ट्रां.कं.लि. कार्यालय में विभाग प्रमुखों की बैठक दि. 16.3.2020

बिधायित्व, विधिवत [redacted] के माध्यम से वर्ष 2020-21 की अवाची हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर / डाटा एंट्री ऑपरेटर को वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से लेनगन किए जाने बाबत निर्देशों से अवागत करामोक्षण था। उपरोक्तानुसार अवागत कवाए जाने के उपरान्त 16.3.2020 को प्रबंध लेनचालक महोदय की समस्त विभागान्वयता के साथ मीटिंग के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवाची हेतु वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से लेनगन किए जाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर / डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु जारी की जाने वाली निविदाएं शुरू के लेनचालक नियम-शर्तों के साथ जारी करना है तथा कम हेतु गणित कमीटी द्वारा अनुसंधान पर्याप्त जांचोपचार उपरान्त लेनचालक नियम-शर्तों के जारी की जाने वाली निविदाओं एवं उसके उपरान्त आवेदन जारी करने में विशेष ध्यान की वर्तमान परिस्थिति के कारण विवेक लगावित है अतः वर्तमान कान्ट्रैक्ट/आदेशों की अवाची के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से लेनगन किए जाने के लिए दो माह दिनांक 31.5.2020 तक के लिए बढ़ा दिए जायेंगे। यह हेतु पुंख लेनचालक महोदय द्वारा अनुसंधान पर्याप्त जांचोपचार के बाद वर्तमान वाह्य सेवा प्रदाता के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदान करने हेतु 2020-21 के कान्ट्रैक्ट/आदेशों की अवाची 2 माह दि. 31.5.2020 तक के लिए बढ़ा दिए जायेंगे। अतः मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.) पर यह हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित है।

CE (HRRA)